**न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर**

**पीठासीन अधिकारी– डॉ0 सूरज सिंह नेगी**

सिविल प्रकरण संख्याः– 16/2015 तारीख रजू :–27.07.2015

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर (राज0)।

..........आवेदक

**बनाम**

मुकेश कुमार गौतम पुत्र श्री गोपी लाल गौतम निवासी आदर्श नगर 'अ' सवाई माधोपुर (विक्रेता व प्रोपराईटर) फर्म– मैसर्स– दिव्या आईसक्रीम, आदर्श नगर 'अ' सवाई माधोपुर

.......... अभियुक्त

**न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) जुर्माना अन्तर्गत धारा 51 एफ.एस.एस.एक्ट 2006 नियम 2011**

**निर्णयः–** दिनांक 12/1/23

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री राजेश कुमार रामचन्दानी खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 19.05.2014 को समय 3.15 पी.एम. पर दल के सदस्य श्री नरेश कुमार चेंजारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी के साथ मैसर्स दिव्या आईसक्रीम, आदर्श नगर 'अ' सवाई माधोपुर पर पहुंचा। वहां पर श्री मुकेश कुमार गौतम पुत्र श्री गोपीलाल गौतम विक्रेता की हैसियत से खाद्य पदार्थ आईसक्रीम का विक्रय कर रहे थे। आवेदक ने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया, तत्पश्चात विक्रेता की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण कर मिलावट व मानक स्तर का नहीं होने की शंका होने पर खाद्य पदार्थ आईसक्रीम का घोल एक स्टील टंकी में रखा हुआ था, का नमूना लेने हेतु मालिक को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा स्टील की टंकी में रखे आईसक्रीम के घोल में से खाद्य पदार्थ आईसक्रीम 1200 ग्राम एक साफ सूखे खाली बर्तन में नमूना जांच हेतु खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता श्री मुकेश कुमार गौतम पुत्र श्री गोपी लाल को रू. 120/– नगद

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 12:00:29 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान श्री महावीर जैन व नरेश कुमार चेंजारा के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ आईसक्रीम 1200 ग्राम को चार खाली साफ एवं सूखी कांच के जारों में बराबर बराबर भरकर प्रत्येक जारों में प्रिजरवेटिव फार्मेलिन की 36–36 बूंद डालकर प्रत्येक जार को ढक्कन लगाकर एयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. सवाई माधोपुर के कोड एवं क्रमांक **एच–471** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारो नमूना भागों को अलग–अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. सवाई माधोपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. **एच–471** नियमानुसार चारो नमूना बोतलों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर आवेदक के द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना लेकर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता श्री मुकेश कुमार गौतम पुत्र श्री गोपी लाल ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में पत्रवाहक कानाराम मीणा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी द्वारा खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा करवाकर अलग–अलग रसीद प्राप्त की गई। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म सं0 6 के डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाईमाधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2014/2282 दिनांक 01.12.14 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक/एफएसएसएल/कोटा/2014/457 दिनांक 21.11.2014 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ आईसक्रीम अनसेफ (**UNSAFE**) होना पाया गया। विक्रेता द्वारा डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2015/696 [illegible] की पालना में प्राप्त जांच रिपोर्ट से विक्रेता संतुष्ट नहीं होने के कारण विक्रेता की [illegible] रेफरल प्रयोगशाला गाजियाबाद में भिजवाये गये नमूने के द्वितीय भाग की जांच निदे[illegible] रेफरल फूड प्रयोगशाला गाजियाबाद की सर्टिफिकेट सं. 163/Mar/15-RAJ दिनांक 24–03–2015 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया आईसक्रीम खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 3(1)(zx)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 12:00:29 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

के अनुसार अवमानक (Sub Standard) होना पाया गया। उक्त प्रकरण में निदेशक रेफरल फूड लेबोरेट्री गाजियाबाद की सर्टिफिकेट सं. 163/Mar/15-RAJ दिनांक 24–03–2015 के अनुसार मौके पर उपस्थित विक्रेता व फर्म मालिक द्वारा अवमानक (Sub Standard) आईसक्रीम का निर्माण एवं विक्रय करके एफ.एस.एस.ए. 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जो धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुआ तथा नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया गया।

अभियोजन अधिकारी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में यह तथ्य अंकित किए गए हैं कि अभियुक्त द्वारा सबस्टेण्डर्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)) प्रकृति के खाद्य पदार्थ आईसक्रीम का निर्माण एवं विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में जुर्माने योग्य अपराध है। अतः अभियुक्त को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावें। ।

अभियुक्त जरिये अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जवाब/बहस में अपनी विक्रय की गयी खाद्य आईसक्रीम को दूध से बना हुआ बताया है तथा तर्क दिया है कि दूध में फेट कन्टेन्ट कम होने के कारण उसके आईसक्रीम के सेम्पल में फेट कन्टेन्ट कम आया है और सेम्पल सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। साथ ही यह भी तर्क दिया कि खाद्य विश्लेषक कोटा की जांच रिपोर्ट एवं रेफरल लेबोरेट्री गाजियाबाद की जांच रिपोर्ट में मिल्क फेट की प्रतिशत में अन्तर है जिससे उक्त दोनो लेबोरेट्रीयों की जांच को सही नहीं माना जा सकता है। अतः उक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए बहस के अन्त में अभियुक्त द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रकरण खारिज कर अभियुक्तगण के विरूद्ध कार्यवाही समाप्त कर प्रकरण का निस्तारण करने हेतु निवेदन किया गया।

उभय पक्ष के आवेदन पत्र/बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एफएसएसएल/कोटा/2014/457 दिनांक 21.11.2014 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ आईसक्रीम अनसेफ पाया गया जिसकी विक्रेता द्वारा रेफरल लेब गाजियाबाद से पुनः जांच करवाने पर रेफरल लेब गाजियाबाद के सर्टिफिकेट नं0 163/Mar/15-RAJ दिनांक 24.03.2015 के द्वारा खाद्य पदार्थ आईसक्रीम का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 3(1)(zx) के अन्तर्गत सबस्टेण्डर्ड पाया गया है [illegible] इस खाद्य पदार्थ के सबस्टेण्डर्ड [illegible] किया है। रेफरल लेब गाजियाबाद के आने पर ही न्यायालय हाजा [illegible] के अनुसार खाद्य पदार्थ आईसक्रीम का सर्टिफिकेट नं0 163/Mar/15-RAJ दिनांक 24.03.[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 12:00:29 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त [illegible] मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

मानक स्तर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के विनियम 2.1.7 के अनुसार नहीं होना पाया जाता है। साथ ही उक्त जांच रिपोर्ट से यह भी विदित होता है कि खाद्य पदार्थ आईसक्रीम में प्रयुक्त मिल्क फेट एवं मिल्क प्रोटीन खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के न्यूनतम मानक स्तर से भी नीचे के स्तर का होने के कारण खाद्य पदार्थ आईसक्रीम का नमूना अन्तर्गत धारा 3(1)(zx) (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011) अवमानक (Sub standard) पाया गया है। अतः मेरी राय में खाद्य विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ आईसक्रीम धारा 3(1)(zx), धारा 26 (2)(ii) तथा धारा 51 एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011 अन्तर्गत अवमानक स्तर (सबस्टेण्डर्ड) होना पाया गया जिसकी पुष्टी रेफरल प्रयोगशाला गाजियाबाद के सर्टिफिकेट नं0 163/Mar/15-RAJ दिनांक 24.03.2015 से हो जाती है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्ध अपराधी करार दिया जाता है तथा उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम,2011 के नियम 51 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्त को सबस्टेण्डर्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) ) प्रकृति के खाद्य पदार्थ आईसक्रीम का विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत अभियुक्त पर 20,000/-रू0 (अक्षरे बीस हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर-अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट द्वारा न्याय निर्णयन अधिकारी को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 12/1/2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 12:00:29 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. सूरज सिंह नेगी )
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर